ई–मेल/आज ही जारी हो /

राजस्थान सरकार
स्कूल शिक्षा (ग्रुप–5) विभाग

क्रमांक प. 9 (3) शिक्षा–5/ऑनलाईन मान्यता /2017 जयपुर दिनांक 02-6-17

निदेशक
प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर।

विषय :– शैक्षिक सत्र 2016–17 में मान्यता हेतु आवेदन करने वाले गैर–सरकारी विद्यालयों को शैक्षिक सत्र 2017–18 में मान्यता हेतु पुनः अवसर दिये जाने के क्रम में।

संदर्भ :– निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर का पत्र क्रमांकः शिविरा–मा/माध्य /अ–3/भनावमा/2016–17 दिनांक 29.05.2017।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि शैक्षिक सत्र 2016–17 में गैर–सरकारी विद्यालयों द्वारा मान्यता हेतु ऑनलाइन आवेदन किया था, इनमें से कुछ गैर–सरकारी विद्यालयों की मान्यता के सम्बन्ध में अन्तिम तिथि 25.03.2017 तक कोई निर्णय नहीं हो सका। इसके बाद शैक्षिक सत्र 2017–18 की ऑनलाइन मान्यता की प्रक्रिया प्रारम्भ हो गई। दिनांक 31.03.2017 को इस विभाग द्वारा जारी आदेश के तहत् ऐसे विद्यालयों को शैक्षिक सत्र 2017–18 में पुनः आवेदन करने का अवसर दिया गया। निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा द्वारा यह ध्यान में लाया गया है कि शैक्षिक सत्र 2016–17 में मान्यता हेतु आवेदन करने वाले ऐसे विद्यालय जिनको शैक्षिक सत्र 2016–17 में मान्यता नहीं दी जा सकी तथा वह विद्यालय शैक्षिक सत्र 2017–18 में मान्यता के लिए आवेदन करना चाहते थे लेकिन मान्यता की अन्तिम तिथि तक आवेदन नहीं कर सके। ऐसे विद्यालय मान्यता के आवेदन हेतु पुनः एक अवसर चाहते हैं।

ऐसे विद्यालयों को पुनः एक अवसर देते हुए इन विद्यालयों को ऑनलाइन मान्यता आवेदन करने की सुविधा दी जाती है। प्राइवेट स्कूल वेबपोर्टल पर ऐसे विद्यालयों को गत सत्र के आवेदन क्रमांक का उपयोग करते हुए दिनांक 15.06.2017 तक पुनः आवेदन करना होगा तथा आवेदन का प्रिंटआउट मय आवश्यक दस्तावेज सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में दिनांक 19.06.2017 जमा कराना होगा। आवेदन की अन्य शर्तें दिनांक 31.03.2017 के आदेश के अनुसार रहेंगी।

भवदीय

(उमा शंकर त्रिपाठी)
व. शासन उप–सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. श्री विनोद जैन, प्रमुख प्रणाली विश्लेषक, एनआईसी, शिक्षा संकुल, जयपुर को देकर लेख है, कि उक्त आदेश के अनुक्रम में वेबपोर्टल पर व्यवस्था करवाने का श्रम करें।
4. राज्य समन्वयक, प्राइवेट स्कूल पोर्टल सेन्ट्रल सैल, शिक्षा संकुल, जयपुर।
5. रक्षित पत्रावली।

व.शासन उप–सचिव